vinetur

20 अक्टूबर से भारत न्यूज़ीलैंड की वाइन, कीवीफ्रूट और सेब पर शुल्क घटाएगा

चरणबद्ध समझौता कोटा और छूट के जरिए भारत के डेयरी क्षेत्र की रक्षा करता है, जबकि द्विपक्षीय व्यापार के $3 अरब से ऊपर जाने का अनुमान है।

बुधवार, 23 सितंबर 2026



भारत और न्यूज़ीलैंड 20 अक्टूबर को एक नया मुक्त व्यापार समझौता लागू करने जा रहे हैं, जिससे भारतीय बाजार में आने वाले न्यूज़ीलैंड के कई उत्पादों, जिनमें वाइन, कीवीफ्रूट और सेब शामिल हैं, पर आयात शुल्क कम होने की उम्मीद है, जैसा कि मंगलवार को Wire Centre द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया।

रिपोर्ट में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी के रूप में वर्णित यह समझौता, एक साथ नहीं बल्कि चरणों में टैरिफ बाधाओं को कम करने की उम्मीद है। प्रस्तावित कटौती कई ऐसे उत्पादों पर लागू होगी जो पहले से ही भारत के प्रीमियम खुदरा खंड में स्थापित हैं, साथ ही कुछ औद्योगिक आयातों पर भी, जैसे डेयरी प्रोसेसिंग मशीनरी, कृषि प्रौद्योगिकी और लकड़ी। इस बदलाव से आयातकों और खुदरा विक्रेताओं के नए शुल्क ढांचे के अनुरूप ढलने के साथ उपभोक्ता कीमतों और आपूर्ति शृंखलाओं, दोनों पर असर पड़ने की संभावना है।

Wire Centre ने रिपोर्ट किया कि सबसे स्पष्ट मूल्य प्रभावों में से कुछ न्यूज़ीलैंड से आयातित ताज़े फल-सब्जियों और चुनिंदा वाइन श्रेणियों में दिखाई दे सकते हैं। यदि आयातकों और विक्रेताओं की ओर से टैरिफ कटौती का लाभ आगे ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है, तो भारतीय उपभोक्ताओं को समझौता प्रभाव में आने के बाद प्रीमियम कीवी, उच्च-ग्रेड सेब और कुछ बोतलबंद वाइन पर कम कीमतें मिल सकती हैं। इन कटौतियों की सीमा शिपिंग लागत, विनिमय दरों, खुदरा मार्जिन और 20 अक्टूबर के बाद कंपनियाँ कितनी जल्दी अनुबंधों और स्टॉक को संशोधित करती हैं, इस पर निर्भर करेगी।

पेय उद्योग के लिए, वाइन से जुड़े प्रावधान विशेष महत्व रख सकते हैं। न्यूज़ीलैंड वाइन पर कम शुल्क एक ऐसे बाजार में मूल्य निर्धारण को बदल सकता है, जहाँ आयातित लेबल अभी भी अपेक्षाकृत महंगे हैं और जहाँ रेस्टोरेंट, होटल, विशेष खुदरा विक्रेता और वितरक प्रीमियम पेशकशों का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रभाव निश्चित नहीं है, लेकिन चरणबद्ध टैरिफ अनुसूची धीरे-धीरे न्यूज़ीलैंड वाइन तक पहुँच बेहतर कर सकती है और भारत के बढ़ते वाइन व्यापार में स्रोत चयन के फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

साथ ही, इस समझौते में भारत के कृषि क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील हिस्सों के लिए सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वार्ताकारों ने घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में अचानक वृद्धि से बचाने के लिए टैरिफ-रेट कोटा और उत्पाद छूटें शामिल की हैं। जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से सुरक्षित बताया गया है उनमें तरल दूध, मक्खन और अन्य मुख्य डेयरी उत्पाद शामिल हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ भारतीय सहकारी समितियाँ और स्थानीय किसान लंबे समय से आयात के खिलाफ मजबूत बाधाओं की मांग करते रहे हैं।

यह ढांचा संकेत देता है कि दोनों सरकारों ने बाजार खोलने और घरेलू सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। न्यूज़ीलैंड एक बड़ा कृषि निर्यातक है, लेकिन भारत व्यापार वार्ताओं में, खासकर खाद्य और खेती से जुड़े मामलों में, ऐतिहासिक रूप से सावधानी बरतता रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं। चयनित उत्पादों पर शुल्क घटाते हुए अधिक संवेदनशील श्रेणियों में सुरक्षा बनाए रखने के साथ, यह समझौता भारत के डेयरी क्षेत्र में व्यापक व्यवधान पैदा किए बिना व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया प्रतीत होता है।

शुल्कों के अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सौदे का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सैनिटरी व फाइटोसैनिटरी मानकों को समरूप करना भी है, ऐसे कदम जो सीमाओं के पार जल्दी खराब होने वाले माल को ले जाने वाली कंपनियों के लिए शुल्क कटौती जितने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बंदरगाहों पर तेज़ निकासी और अधिक अनुमानित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियम देरी, खराब होने के जोखिम और अनुपालन लागत को कम कर सकते हैं, खासकर फल निर्यातकों और खाद्य आयातकों के लिए। इस समझौते में कुशल पेशेवरों की आवाजाही को बेहतर बनाने और शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित सेवाओं में आदान-प्रदान का समर्थन करने के उपाय भी शामिल हैं।

Wire Centre द्वारा उद्धृत उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि समझौता योजना के अनुसार लागू होता है, तो अगले तीन वर्षों में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार $3 अरब से अधिक हो जाएगा। यह अनुमान कृषि व्यापार से आगे जाता है और इस समझौते के पीछे व्यापक वाणिज्यिक एजेंडे को दर्शाता है, जिसमें कारोबार के लिए आसान परिस्थितियाँ, सीमा पर कम रुकावटें और सौदे के दायरे में आने वाले क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है।

20 अक्टूबर की शुरुआत की तारीख आयातकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को कार्यान्वयन के पहले चरण की तैयारी के लिए एक छोटा सा समय देती है। वाइन, फल और खाद्य-प्रसंस्करण उपकरण संभालने वाली कंपनियाँ संभवत: अंतिम सीमा शुल्क अधिसूचनाओं पर करीब से नज़र रखेंगी, ताकि यह देख सकें कि कम शुल्क व्यावहारिक रूप से कितनी जल्दी लागू हो सकते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, सबसे दिखाई देने वाले प्रभाव सबसे पहले दुकानों की अलमारियों और रेस्तरां मेनू पर सामने आ सकते हैं, जहाँ आयातित उत्पादों और वाइन की लैंडेड लागत में किसी भी कमी का असर मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद कीमतों में दिखना शुरू हो सकता है।